विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : सहकारिता

तारांकित प्रश्न संख्याः : 5115

उत्तर की तिथि : 14.03.2022

विषय : विक्रय दुकान

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जवाहर ठाकुर (दरंग)

सम्बन्धित मन्त्री : शहरी विकास मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या शहरी विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे किः— (क) यह सत्य है कि नगर निगम मण्डी ने समखेतर वार्ड नम्बर 101 में जिला फेडरेशन/को–ऑपरेटिव बैंक की विक्रय दुकान किराये पर दी है;	(क), (ख),(ग) एवं (घ) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) यदि हां, तो यह किसे व किस कार्य हेतु दी गई है; ब्यौरा मासिक निर्धारित किराये व अब तक वसूली गई धनराशि सहित दें;	
(ग) क्या सहकारिता विभाग की भूमि पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है; और	
(घ) यदि हां, तो विभाग ने अपनी भूमि की निशानदेही कब करवाई व कब्जा धारक के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; ब्यौरा दें ?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 5115 जो माननीय विधायक (दरंग) श्री जवाहर ठाकुर द्वारा 'विक्रय दुकान' बारे पूछा गया है, से सम्बन्धित उत्तर।

(क) जी हां, नगर निगम मण्डी के समखेतर वार्ड नम्बर 101 के अन्तर्गत दि मण्डी जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ (विघटनाधीन) ने दुकान किराये पर दी है।

(ख) जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ मण्डी द्वारा यह दुकान श्री शशी भूषण, सुपुत्र श्री देवकी नन्द शर्मा, जिला मण्डी, को फोटो स्टूडियो हेतु मु0 800/-रूपये मासिक किराये पर दी गई थी। अब तक मु0 19200.00/- रूपये किराया वसूल किया गया है।

(ग) यह भूमि सहकारिता विभाग के नाम नहीं है। दिनांक 30.12.2000 को दि मण्डी जिला सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ मण्डी (विघटनाधीन) द्वारा देनदारियों को चुकता करने के लिए अपनी सारी सम्पतियों का हस्तांतरण हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, मण्डी को किया गया । बैंक की भूमि पर निर्मित इस दुकान पर श्री शशी भूषण ने अवैध कब्जा किया है।

(घ) हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित मण्डी द्वारा दिनांक 14.10.2013 को इस भूमि की निशानदेही करवाई गई व कब्जाधारक के विरूद्ध दुकान खाली करवाने बारे मामला दिनांक 21.01.2017 को माननीय सब डिविजनल कलैक्टर कोर्ट मण्डी में दायर किया है, जो कि वर्तमान में कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।

******